न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0 71/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूधारी) बीदासर जिला चूरू राजस्थान

.... प्राथी

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रकंवर पत्नि गंगासिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. श्री गोपालसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. श्रीमती छोटूकंवर पुत्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. श्रीमती निर्मलाकंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. श्री बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. श्री मालाराम पुत्र टीकुराम जाति जाट निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसी बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. श्री रघुवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. श्री रणजीतसिंह उर्फ रणवीरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

.............................अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधि.

निर्णय दिनांक 20-7-22

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं. 01 ता 09 के खातेदारी खेत खसरा सं. 552 तादादी 1.5555 है0 वाके रोही ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदार कृषक है ओर उनके नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि कृषि प्रयोजन की भूमि है ओर वादगत भूमि ग्राम पारेवड़ा की आबादी के चिपती हुई है इसिलए अप्रार्थीगण ने वादगत भूमि पर मकानात बनाकर वादगत भूमि का आवासीय उपयोग किया जा रहा है जबकि प्रार्थी वादी तहसीलदार बीदासर भूमि धारक है तथा बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थीगण को भूमि का किस्म परिवर्तन का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण ने विधी विरूद्व कृषि कार्य करने का खातेदारी भूमि मे अधिकार दिया गया है। कृषि भूमि को अकृषि भूमि मे परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा ली जानी आवश्यक होती है। वादगत भूमि मे आवासीय मकानात काफी व्यक्तियो ने बना रखे है ओर उनकी देखादेखी से अन्य

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

लोगो द्वारा भी भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया जा सकता है वादगत भूमि मे पैदावार होना संभव नही है तथा प्रार्थी द्वारा वादगत भूमि मे कृषि से अकृषि मे परिवर्तन करने एवं कृषि भूमि की खातेदारी भूमि खारिज करने व आबाद व्यक्तियो द्वारा भूमि रिक्त किये जाने का कहा गया तो उन्होने इन्कार कर दिया जिस पर यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर अपने बयान लेखबद्व करवाये तथा हल्का पटवारी ने वादगत खसरेजात की भूमि मे कृषि भूमि को अकृषि भूमि अर्थात किस्म परिवर्तन कर आबाद व्यक्तियो बाबत रिर्पोट पेश की गई हें। अप्राथीगण ने अपने बयानो मे स्पष्ट रूप से कहा है कि वादगत भूमि ग्राम पारेवड़ा की आबादी के चिपती हुई भूमि है ओर वादगत भूमि मे कृषि कार्य नही किया जाता है तथा वादगत भूमि को बहुत सारे व्यक्तियो को आबाद होने के लिए अर्थात बसने के लिए दे दी गई है ओर वादगत भूमि मे अन्य व्यक्तियो ने अपने आवास निवास के लिए मकानात का निर्माण कर लिया है तथा बिजली पानी के कनेक्शन ले रखे है। वादगत भूमि पर काफी लोग आबाद हो चूके है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया हल्का पटवारी की रिर्पोट से व अप्रार्थीगण के बयानो से यह पूर्णरूप से साबित है कि वादगत भूमि पर काफी लोग आबाद हो चूके है। वादगत भूमि की किस्म बदल चूकी है अर्थात कृषि से अकृषि कार्य मे वादगत भूमि तब्दील हो चूकी है। वादगत भूमि पर काश्त होनी संभव नही है। वादगत भूमि की किस्म परिवर्तन करने का बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नही है। वादगत भूमि का भू–धारक प्रार्थी है। वादगत भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने का अप्रार्थीगण को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अधिकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्योयोचित प्रतीत होता है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 01 ता 09 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे वादगत खेत खसरा नम्बर 552 तादादी 1.5555 हे0 वाके रोही ग्राम पारेवड़ा तहसील बीदासर की भूमि की खातेदारी खारिज की जाकर वादगत खसरेजात की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे सिवाय चक घोषित की जाती है। वादगत खसरेजात की भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड मे सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादगत खसरेजात की भूमि पर अप्रार्थीगण व अन्य आबाद व्यक्ति है उनसे वादगत भूमि रिक्त करवाये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 20-7-22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner